बिहार सरकार,

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

पटना–01, दिनांक–

संख्या–1/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं०................/श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्ति पदाधिकारियों के लिए नए सिरे से निर्धारित सेवा शर्त निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :–

(i) पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर की प्रतिनियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन (03) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए रहेगा।

(ii) पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं०–1434, दिनांक 09.3.2000 के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अन्तिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाये जाने पर जो राशि बचेगी, वही राशि उन्हें वेतन के रूप में अनुमान्य होगी।

(iii) सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार के सेवकों की भाँति मकान किराया भत्ता देय होगा।

(iv) सरकारी सेवकों की भाँति समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा।

(v) सरकारी सेवकों की भाँति चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता देय होगा। परिवहन भत्ता न लेने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में सरकारी कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भाड़े पर अनुमान्य वाहन लेने की अनुमति होगी।

(vi) सरकारी सेवकों की भाँति यात्रा भत्ता देय होगा।

(vii) पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर की सेवायें एक महीने की पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(viii) पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर का मुख्यालय क्रमशः पटना एवं मुजफ्फरपुर रहेगा।

(ix) पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना एवं पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होंगे।

(x) जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस अधिसूचना के किन्ही प्रावधानों को शिथिल या संशोधित किया जा सकेगा।

2. पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

office order 5.7-320

ज्ञापांक–1/श्रम न्याय–01/2024 श्र०सं० ....07..../ पटना, दिनांक– 09/6/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव

office order